अध्याय 10 पशु अतिचार

धारा 70 पशु अतिचार अधिनियम, 1871 का लागू होना - किसी आरक्षित वन में या किसी संरक्षित वन के किसी प्रभाग में, जो विधि पूर्वक (Lawfully) चरागाह के लिये बन्द किया गया है, अतिचार करने वाले पशुओं को, पशु अतिचार नियम 1871(1871 का 1) धारा 11 के अर्थ में लोक बागान (Public Plantation) को नुकसान करने वाला पशु समझा जावेगा और किसी वन अधिकारी या पुलिस अधिकारी द्वारा अभिग्रहीत (Seized) और परिबद्ध (Impound) किया जस सकेगा।

धारा 71. इस नियम के अधीन निर्धारित जुर्मानों को बदलने की शक्ति - राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्देश दे सकेगी कि पशु अतिचार अधिनियम, 1871 (1871 का 1) की धारा 12 के नियत जुर्माने के बदले इस अधिनियम की धारा 70 के अधीन परिबद्ध हर पशु के लिये ऐसा जुर्माना उद्गहीत (Levied) किया जावेगा जैसा वह ठीक समझती है किन्तु वह निम्नलिखित से अधिक नहीं होगा -

- ¹(i) प्रत्येक हाथी के लिये एक हजार रुपये
- ¹(ii) प्रत्येक ऊँट के लिये दो सौ पचास रुपये
- 1(iii) प्रत्येक भैंस के लिये एक सौ रुपया
- ¹(iv) प्रत्येक घोड़ा, खस्सी टट्टू एक सौ रुपया बछेड़ा, बछेड़ी, खच्चर, सांग, बैल, गाय या बछड़ी (Heifer)
- $^{1}(\mathrm{iv})$ प्रत्येक बछड़े (call) गधा सुअर, मेढ़े, मेटी, मेमने, बकरी या उसके मेमने पचास रुपये

¹नोट - परन्तु परिबद्धता की कालावधि के दौरान ऐसे पशु के रखरखाव का खर्च वन मण्डलाधिकारी द्वारा जुर्मानों के अतिरिक्त नियत की गई प्रचलित दरों पर वसूलीय होगा।

नोट - पशु अतिचार नियम अलग परिशिष्ट में दिया है।

1. म.प्र. विधान क्र. 7 वर्ष 2010 द्वारा संशोधित।